

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

विकास कुमार उर्फ विकास कुमार

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2546

में

2024 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 446

21 अगस्त, 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचारणीय बिन्दु

क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सेवा के दौरान कदाचार के आरोपी कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर रद्द करना न्यायोचित था कि विभागीय जांच में कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, और क्या मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस भेजा जा सकता है।

मुख्य बिन्दु

सेवा कानून – विभागीय जांच – कोई वैध साक्ष्य नहीं मिला – बर्खास्तगी आदेश अस्थिर –
अभिनिर्धारित हुआ: जहां विभागीय जांच वास्तविक प्रत्यक्षदर्शियों की जांच किए बिना की जाती है और निष्कर्ष केवल प्रारंभिक जांच अधिकारियों के बयानों पर आधारित होते हैं, ऐसी जांच बर्खास्तगी का आधार नहीं बन सकती। विद्वान एकल न्यायाधीश ने वैध साक्ष्य के अभाव में बर्खास्तगी को अवैध ठहराया।

[पैरा 4, 5]

भारतीय संविधान – अनुच्छेद 311(2) – प्रक्रियात्मक निष्पक्षता – बचाव का अधिकार –

माना गया कि एक दोषी कर्मचारी प्रत्यक्ष और ठोस सबूतों के खिलाफ खुद का बचाव करने का हकदार है। वर्तमान मामले में, ऐसे सबूत पेश करने में विफलता और केवल केवल सुनी सुनाई बात पर आधारित करना अनुच्छेद 311(2) के तहत उचित अवसर की गारंटी का उल्लंघन है।

[पैरा 4, 5, 9]

प्रशासनिक कानून – अनुशासनात्मक कार्यवाही – साक्ष्य संबंधी दोष को ठीक करने के लिए रिमांड नहीं –

न्यायालय ने कहा कि जहां जांच में रिपोर्ट की आपूर्ति न करने जैसी तकनीकी खामियों के बजाय साक्ष्य की कमी है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी को नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने के लिए रिमांड की अनुमति नहीं है। नियोक्ता को साक्ष्य संबंधी लापरवाही को बाद में सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[पैरा 6, 7, 9, 12, 14]

न्यायिक समीक्षा – अनुच्छेद 226/227 के तहत दायरा – उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता – हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब निष्कर्ष विकृत हों या बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हों –

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी. गुनासेकरन के सिद्धांतों के अनुसार , उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जहां तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी को रद्द करने में अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया।

[पैरा 11-13]

अनुशासनात्मक कानून – संभाव्यता की अधिकता – जहां कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है वहां पूरा नहीं हुआ –

हालांकि विभागीय जांच कमतर मानक प्रमाण (संभावनाओं की अधिकता) द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जब कोई सबूत ही नहीं दिया जाता है तो उसे भी लागू नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से सुनी-सुनाई बातों पर आधारित निष्कर्ष कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं।

[पैरा 13]

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ बनाम पी. गुणसेकरन , (2015) 2 एससीसी 610 – लागू; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहम्मद रमजान खान , (1991) 1 एससीसी 588 – संदर्भित; ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर , (1993) 4 एससीसी 727 - समझाया गया

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; बिहार पुलिस मैनुअल / बिहार सरकारी सेवक (सीसीए) नियमावली

मुख्य शब्दों की सूची

बर्खास्तगी; विभागीय जांच; कोई सबूत नहीं; अनुच्छेद 311(2); रिमांड; अनुशासनात्मक कार्यवाही; अफवाह; संभावना की अधिकता; प्रक्रियात्मक दोष; विकास कुमार

प्रकरण से उत्पन्न

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2546/2023 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पारित निर्णय

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री पी.के. शाही, ए.जी.; श्री नदीम सिराज, जी.पी.-5; श्री शाहबाज आलम, जी.पी.-5 के ए.सी.

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2546
में
2024 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 446**

- =====
1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से ।
 2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
 3. पुलिस उप महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस, जिसे अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, उत्तरी क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के रूप में जाना जाता है।
 4. सेनानायक, बी.एम.पी.-6, अब बी.एस.ए.पी.-6, मुजफ्फरपुर कहलाता है।
 5. पुलिस उपाधीक्षक, बी.एम.पी.-6, अब बी.एस.ए.पी.-6, मुजफ्फरपुर कहलाते हैं।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

विकास कुमार उर्फ विकास कुमार, पिता- श्री उमेश प्रसाद सिंह, निवासी-मोहल्ला-कन्हौली विशुनदत्त (कलकटिया गाछी), डाकघर- रमना, थाना- मिथनपुरा, जिला- मुजफ्फरपुर ।

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री पी.के. शाही, ए.जी.
श्री नदीम सिराज, जी.पी.-5
श्री शाहबाज आलम, जी.पी.-5 के ए.सी.
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री

=====

गणपुर्ति: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 21-08-2024

यह अपील राज्य द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय के विरुद्ध की गई है जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया गया था; जिसे अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी।

2. हमने राज्य के लिए विद्वान महाधिवक्ता को सुना।

3. उत्तरदाता, जो रिट याचिकाकर्ता था, एक सिपाही था जिसके खिलाफ कदाचार के आरोपों पर कार्रवाई की गई थी, एक जांच की गई और कथित रूप से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दुर्व्यवहार का आरोप यह था कि उन्होंने एक परिवीक्षाधीन महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाई थी।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि की गई जाँच में बिल्कुल कोई वैध सबूत नहीं था। प्रारंभिक जाँच करने वाले पुलिस बल के दो अधिकारियों से जाँच अधिकारी के समक्ष पूछताछ की गई। उन्होंने केवल इतना कहा कि चश्मदीद गवाहों से लिए गए बयान, जिन्होंने याचिकाकर्ता को महिला परिवीक्षाधीन के साथ देखा, संकेत देते हैं कि वे एक पार्टी में थे और पहचाने जाने से बचने के लिए याचिकाकर्ता परिवीक्षाधीन के साथ भाग गया और पार्टी स्थल की चारदीवारी से कूद गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि चूंकि जांच में कोई वैध सबूत नहीं था, इसलिए बर्खास्तगी के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

5. हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि जांच में कोई वैध सबूत नहीं है। बेशक, एक प्रारंभिक जाँच की गई थी और जिन लोगों ने प्रारंभिक जाँच की थी, उनसे भी जाँच अधिकारी के समक्ष पूछताछ की गई थी। उन्होंने केवल प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों के बारे में ही गवाही दी थी; यह गवाही केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। चश्मदीद गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी और ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि दुराचार के आरोप के संबंध में कोई वैध सबूत था।

6. उपरोक्त संभावना का सामना करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश को मामले को जाँच अधिकारी को भेज देना चाहिए था।

7. हम इस बात से असहमत हैं, क्योंकि जिस आधार पर बर्खास्तगी आदेश में हस्तक्षेप किया गया था, वह जांच के संचालन में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी। केवल तभी जब किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी तकनीकी आधार पर दोषपूर्ण हो, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के साथ-साथ के आधार पर प्रतिप्रेषण की आवश्यकता होती है; ताकि तकनीकी दोष पाए जाने के चरण से जांच फिर से शुरू की जा सके। जहां, की गई जांच में, कोई उचित सबूत नहीं दिया गया था, प्रबंधन को प्रतिप्रेषण देकर और अपराधी कर्मचारी को कदाचार का दोषी खोजने के लिए नए सबूत देने की अनुमति देकर अपनी गलती को सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. *भारत संघ बनाम मो. रमज़ान खान, (1991) 1 एससीसी 588* और *ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर, (1993) 4 एससीसी 727* के निर्णयों में, भारत के संविधान के 42 वें संशोधन के बाद, दोषी कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन न दिए जाने पर उचित अवसर न दिए जाने के मुद्दे पर विचार किया गया। संविधान के 42 वें

संशोधन से पहले, दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य था, जिसके लिए प्रस्तावित दंड पर अभ्यावेदन देने का उचित अवसर भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत एक अनिवार्य शर्त थी। 42 वें संशोधन ने उपरोक्त शर्त को हटा दिया और यह नियोक्ताओं का तर्क था कि जांच प्रतिवेदन प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि जब भी जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होता है और जांच अधिकारी की प्रतिवेदन कर्मचारी को सभी या किसी भी आरोप का दोषी ठहराती है; किसी भी सजा के प्रस्ताव के साथ या नहीं, तो अपराधी कर्मचारी प्रतिवेदन की एक प्रति का हकदार होता है ताकि वह प्रतिवेदन में निष्कर्षों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व कर सके।

9. अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है; इस संदर्भ में, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और अपराधी को पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्षों के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिप्रेषण आवश्यक है। प्रतिप्रेषण तकनीकी दोष को ठीक करने के लिए है, ताकि दोषी को दंडित किए जाने से पहले, एक उचित अवसर से इनकार करने के कारण किसी भी पूर्वाग्रह से बचा जा सके और जांच के संचालन में प्रबंधन द्वारा की गई कमी को दूर किया जा सके; विशेष रूप से जब जांच बिना किसी वैध साक्ष्य को पेश किए लापरवाही से की गई थी।

10. *ईसीआईएल (उपरोक्त)* मामले में एक बड़ी पीठ ने एक संदर्भ के आधार पर *मो. रमजान खान (उपरोक्त)* मामले में दिए गए कथन की पुनः पुष्टि की। ये ऐसे मामले थे जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोषी कर्मचारी को लगाए गए कदाचार के आरोप का बचाव करने और जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के विरुद्ध पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था; केवल इसी मामले में दोष को

दूर करने और दोषी कर्मचारी को उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिप्रेषण किया जा सकता था।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने **भारत संघ बनाम पी. गुनासेकरन; (2015) 2 एससीसी 610** पर भरोसा किया है, जिसमें से हम कंडिका 12 और 13 उद्धृत करते हैं:

12. इस सुस्थापित स्थिति के बावजूद, यह बेहद परेशान करने वाला है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है, और जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का भी पुनर्मूल्यांकन किया है। आरोप । में दिए गए निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील के द्वितीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और न ही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:

(क) जाँच किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है;

(ख) जाँच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;

(ग) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है;

(घ) प्राधिकारियों ने मामले के साक्ष्य और गुण-दोष से इतर कुछ विचारों के कारण स्वयं को निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुँचने से रोक लिया है;

(ड) प्राधिकारियों ने स्वयं को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने दिया है;

(च) निष्कर्ष, पहली नज़र में, इतना मनमाना और मनमौजी है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुँच सकता;

(छ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार करने में भूलवश चूक की है;

(ज) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अस्वीकार्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया है जिससे निष्कर्ष प्रभावित हुआ है;

(i) तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय निम्नलिखित नहीं करेगा:

(i) साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन;

(ii) जाँच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप, यदि जाँच विधि के अनुसार की गई हो;

(iii) साक्ष्य की पर्याप्तता की जाँच;

(iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता की जाँच;

(v) हस्तक्षेप, यदि कोई ऐसा विधिक साक्ष्य हो जिस पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हों।

(vi) तथ्य की त्रुटि को, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो, सुधारना;

(vii) दंड की आनुपातिकता पर विचार करना, जब तक कि वह उसके विवेक को झकझोर न दे।

(जोर देने के लिए रेखांकित और बोल्ड फ़ॉन्ट दिया गया है)

12. उपरोक्त उद्धरण से यह बहुत स्पष्ट है कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय तब हस्तक्षेप करने का हकदार है जब तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित हो। यदि प्रत्येक मामले में जहां जांच की कार्यवाही में कोई वैध सबूत नहीं दिया जाता है, तो प्रतिप्रेषण किया जाता है, तो यह प्रबंधन/अनुशासनात्मक प्राधिकरण की लापरवाही के लिए एक प्रीमियम की पेशकश करेगा और उस शुल्क को माफ कर देगा जिसके साथ विभागीय जांच की गई थी। यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण है जो जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करता है। हमारा मानना है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और उन्हें इस बात की भी जानकारी होगी कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ कथित कदाचार को साबित करने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य कैसे पेश किए जाने चाहिए।

13. अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में, यह भी एक प्रचलित सिद्धांत है कि सबूत का मानक संभाव्यता की प्रधानता है, जो उचित संदेह से परे सबूत से भिन्न है; जैसा कि आपराधिक अभियोजन में अपेक्षित होगा। हालाँकि, यदि जांच में कोई सबूत नहीं दिया जाता है, तो आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी संभावना की अधिकता का कोई सवाल ही नहीं है और न ही अपराधी को बिना किसी वैध सबूत के आकस्मिक निष्कर्षों के आधार पर दंडित किया जा सकता है।

14. हमें वैध साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रतिप्रेषण प्रदान करने के विद्वान महाधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। अनुशासनात्मक प्राधिकारी/विभाग को उचित रूप से गठित जांच कार्यवाही में अवसर मिला था और यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बर्खास्तगी का दंड बिना किसी वैध साक्ष्य के लगाया जाना पाया जाना चाहिए। हम विद्वान एकल न्यायाधीश

के विवादित निर्णय के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं और अपील को समय रहते खारिज करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

अनुष्का/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।